Polity

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के
On acquiring Citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।
On being Sentenced to 2 years Imprisonment by any other Country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर,
या
On an Indian woman marrying a far foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।
On Staying outside India for 7 Continous, years.

ex → सोहन ⇒ भारतीय नागरिकता
⇓ त्यक्त
⇓ पंजीकरण / देशीकरण

प्रियंका चौपड़ा
⇓ अमेरिका
⇓ निक जोंस

→ Crime अपराध ⇒ सजा ⇒ 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा
Penalty
↓ within 5 year's
5 वर्ष के भीतर
→ भारत के बाहर

CAA ⇒ 2019
→ Citizenship Amendment Act. 2019 ⇒ 10 Jan. 2020 से लागू (execute)
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
→ Bill विधेयक ⇒ नागरिकता संशोधन विधेयक 2019

⇓

9 Dec. 2019 को लोकसभा में
↳ Pass पारित

11 Dec. 2019 को राज्य सभा में गया
↳ पारित Pass

Bill ⇒ अधिनियम

इस पर हस्ताक्षर ⇒ 12 Dec. 2019

12 Dec. 2019 ⇒ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास गया।

31 Dec. 2014 तक या उससे पहले कोई व्यक्ति जो हिन्दू है, जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी इसाई है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया है. उसे अवैध प्रवासी (illegal Immigrants) नहीं माना जायेगा।

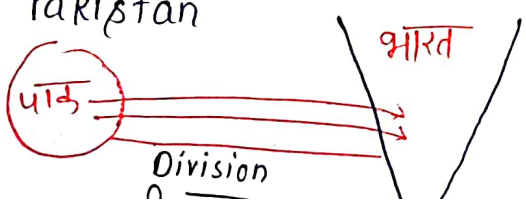
⇓

यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूहों (6 minorities groups) के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि (Duration) को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence-ment of the Constitution) के बारे में है।

अनु० 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

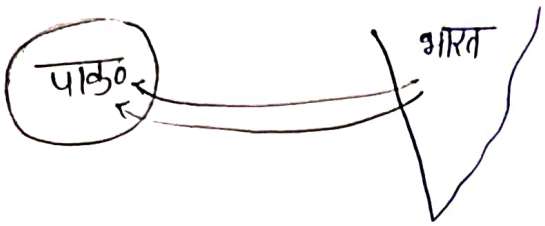
Article-6, Rights of Citizenship of persons Coming to India from Pakistan



rojgar with ankit

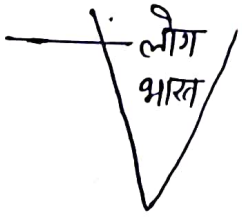
अनु० 7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of Citizenship of Certain mi-grants to pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of Citizenship of Certain mi-grants to pakistan



अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of Citizenship of Certain persons of Certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में है;

Article 8 deals with the right of Citizenship of Certain persons of India Origin residing Outside India



अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a Citizen of a foreign State, his Indian

rojgar with ankit

Citizenship automatically ends.

अनुच्छेद - 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the Citizenship of a person Can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.

Dual Citizenship ⇒ (USA) ⇒ जब किसी देश में पूरे देश और राज्य
दोहरी नागरिकता की नागरिकता अलग-2 हो।

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights ⇒ भारतीय संविधान द्वारा दिये गये है।
⇓
Part (भाग) → III
Art. 12 - 35
अमेरिका (USA) से लिया है।

Indian Citizens
भारतीय नागरिकों
गैर-नागरिकों/विदेशियों
Foreigner's

वे अधिकार (Art. 15, 16, 19, 29, 30) विदेशियों को नहीं है।

वे अधिकार जो केवल भारतीय के लिए (Only for Indian's)
Art. 15, 16, 19, 29, 30